

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला ओपी एसबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र०सू०रि० सं. 92/2022 दिनांक 21/3/2022
2. (i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..... धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या 402 समय 5.00 PM
(ख) अपराध घटने का दिन गुरुवार दिनांक :- 10.06.2021 समय 9.30 एएम
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- दक्षिण-पश्चिम दिशा में करीब 4 किलोमीटर
(ब) पता :- राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- श्री शिम्भूदयाल
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री लक्ष्मणराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 36 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता- भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय :-
(ल) पता :- निवासी शास्त्रीनगर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
श्री बन्नेसिंह कविया पुत्र श्री कुमेरदान कविया, निवासी ग्राम चैलासी पोस्ट सिहोट छोटी जिला सीकर तत्कालीन लेखाकार राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर हाल सेहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
कोई देरी नहीं हुई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 24,000 रुपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.2021 को परिवादी श्री शिम्भूदयाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम, जाति वाल्मिकी, उम्र-36 वर्ष, निवासी शास्त्रीनगर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर ने एसबी कार्यालय सीकर में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस जाकिर अख्तर के समक्ष स्वयं द्वारा लिखित एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " निवेदन है कि मैंने एसके अस्पताल में साफ-सफाई का टेण्डर ले रखा है। उक्त टेण्डर मेरा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक है। मेरे द्वारा अस्पताल परिसर में की गई साफ सफाई में माह मार्च, अप्रैल व मई 2021 के तीन बिल करीब 4,98,000 रुपये हैं, जिनका मेरे को अभी भुगतान नहीं किया गया है। मैं उक्त बिलों के भुगतान हेतु श्री बन्नेसिंह लेखाकार से मिला तो उसने मेरे बिलों के भुगतान दिलवाने के लिये मेरे से 32,000 रुपये रिश्वत के मांगे तो मैंने उसको 8,000 रुपये दे दिये, अब बन्नेसिंह मेरे से 24,000 रुपये रिश्वत के और मांग रहा है। मैं उसको रिश्वत के रुपये देना नहीं चाहता हूँ और उसको रिश्वत लेते

जा

हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री बन्नेसिंह लेखाकर इसके अस्पताल सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया।

मजमून प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त परिवादी से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि "आज राजकीय कल्याण अस्पताल सीकर पहुँचकर बन्नेसिंह लेखाकार से वार्ता नहीं की जा सकती, क्यों की कोरोना के कारण वह जल्दी ही अपने घर चला जाता है।" परिवादी ने अपने घर पर जरूरी कार्य होने तथा दिनांक 10.06.2021 को राजकीय कल्याण अस्पताल सीकर में मिलने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रुखसत किया गया। चूँकि मन् उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 10.06.2021 को दिगर राजकार्य से जयपुर जाने के फलस्वरूप कार्यालय की डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाकर टेप रिकार्डर को कम्प्यूटर में चलाकर देखा गया तो कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। टेप रिकार्डर श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. को सुपुर्द कर कानि. को परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर दिनांक 10.06.2021 को सुबह 10 एएम पर राजकीय कल्याण अस्पताल सीकर पहुँच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत के मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 10.06.2021 को समय 10.05 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के बाद राजकार्य जयपुर से चौकी सीकर पहुँचने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. ने टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि "मैंने समय करीब 9.30 एएम पर कार्यालय से रवाना होकर इसके अस्पताल के पास पहुँच परिवादी से सम्पर्क कर टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दी तथा परिवादी के अस्पताल से बाहर आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर समय करीब 2.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय उपस्थित हुआ हूँ। मन् उप अधीक्षक पुलिस के राजकार्य से जयपुर मुक्ति होने के दौरान परिवादी ने इसके अस्पताल सीकर में श्री बन्नेसिंह लेखाकार से अपने काम के बारे में बातचीत करना तथा उस बातचीत को टेप रिकार्डर में टेप करना, बातचीत के दौरान श्री बन्नेसिंह लेखाकार द्वारा सफाई कार्यों के बिल पास करवाने के लिये 32000 रूपयों की मांग करना, उन 32000 रूपयों में से 8000 रुपये पूर्व में आने की कहते हुये शेष 24,000 रुपये और देने की कहना परिवादी ने बताया था।

तत्पश्चात श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में चलाकर सुना गया। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 08.09.2021 को समय 5.00 पीएम पर परिवादी श्री शिम्भूदयाल उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी श्री शिम्भूदयाल ने बताया कि मैं मेरे निजी कार्य के कारण पश्चिम बंगाल चला गया था, इस कारण देरी हुई। परिवादी श्री शिम्भूदयाल ने बताया कि इस दौरान मेरी बन्नेसिंह से जरिये मोबाईल फोन वार्ता होती रही तो मैंने उनको शेष 24000 रुपये जल्दी देने तथा मेरे बिल पास करने की कही तो उसने मेरे बिल पास कर दिये हैं। परिवादी श्री शिम्भूदयाल ने बताया कि श्री बन्नेसिंह लेखाकार का स्थानान्तरण शिक्षा विभाग सीकर में हो गया है, परन्तु बन्नेसिंह मेरे से अभी भी पीछे के रिश्वत के बकाया 24000 रुपये मांग रहा है। परिवादी श्री शिम्भूदयाल ने बताया कि यदि बन्नेसिंह लेखाकार को रिश्वत के रुपये नहीं दिये तो वो अस्पताल में बिल पास करने वाले अधिकारी को कहकर बिलों में कटौति करवाकर बिल पास करने में अड़चनें पैदा कर सकता है। परिवादी श्री शिम्भूदयाल ने दिनांक 10.09.2021 को बन्नेसिंह को रिश्वत के शेष 24000 रुपये देने की कही।

तत्पश्चात परिवादी श्री शिम्भूदयाल द्वारा दौरान रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 10.06.2021 को आरोपी श्री बन्नेसिंह लेखाकर इसके अस्पताल सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसका उपरोक्त परिवादी एवं कार्यालय स्टाफ के गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सीलड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डड वार्तालाप में परिवादी श्री शिम्भूदयाल ने स्वयं की व आरोपी श्री बन्नेसिंह लेखाकर इसके अस्पताल सीकर की आवाजों की पहचान की। परिवादी श्री शिम्भूदयाल को दिनांक 10.09.2021 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर

रुखसत किया गया। इसके पश्चात कई बार अलग-अलग दिनांक को परिवादी श्री शिम्भूदयाल से मोबाईल पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही गई, जिस पर परिवादी ने अपने निजी कार्य में व्यस्त होना बताया तथा बाद में बताया कि "श्री बन्नेसिंह लेखाकार मेरे से रिश्वत नहीं मांग रहा है तथा ना ही मेरे से अब रुपये लेगा शायद उसको कार्यवाही का सन्देह हो गया है।" परिवादी ने अग्रिम कार्यवाही करवाने से मना किया।


ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से मांग की गई रिश्वती राशि के क्रम में परिवादी के कथन कि 'वो अपने बत्तीस में से कितने दिये हुये है' जिस पर आरोपी ने कहा कि "आठ" जिस पर परिवादी ने कहा कि "और वो शेष" जिस पर आरोपी के कथन कि "अब देदो मुझे मैं दो तीन बजे तक रहूंगा, जिस पर परिवादी ने कहा कि "हाँ साठे चार बजे ल्या दूंगा उसमें कटौति नहीं होनी चाहिये, जिस पर आरोपी के कथन कि "मैने आपके बहुत कम रुपये काटे है, आपको पता होना चाहिये, पन्द्रह हजार कटने थे, उसमें साठे तीन हजार ही काटकर काटने का नाम सा किया था" आदि कथनों से परिवादी से 24,000 रुपये रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।

इस प्रकार की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री बन्नेसिंह कविया पुत्र श्री कुमेरदान कविया, निवासी ग्राम चैलासी पोस्ट सिहोट छोटी जिला सीकर तत्कालीन लेखाकार राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री शिम्भूदयाल से उसके अस्पताल सीकर में उसके साफ-सफाई कार्यो के बिल पास करवाने के लिये रिश्वत की मांग किये गये 32000 रुपयों में से 8000 रुपये पूर्व में आने की कहते हुये शेष 24,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री बन्नेसिंह कविया तत्कालीन लेखाकार राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के दण्डनीय है। अतः आरोपी श्री बन्नेसिंह कविया तत्कालीन लेखाकार राजकीय श्री कल्याण अस्पताल सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(जाकिर अख्तर)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जाकिर अख्तर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बन्नेसिंह कविया, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 92/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


21.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 818-22 दिनांक 21.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।


21.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।